प्रकरण संख्या : 74/2021
नारायण बनाम जगदीश वगै.
निर्णय दिनांक : 04.06.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मूलचन्द लूणिया, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	74/2021
दायर दिनांक	:	13.09.2021
निर्णय दिनांक	:	04.06.2025

1. नारायण पुत्र लक्ष्मण जाति रैगर, निवासी ग्राम बडी बैरास तहसील भांण्डारेज जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र सीताराम जाति रैगर, निवासी ग्राम बडी बैरास तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
2. चौथमल पुत्र सीताराम जाति रैगर, निवासी ग्राम बडी बैरास तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
3. हंसराज पुत्र सीताराम जाति रैगर, निवासी ग्राम बडी बैरास तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
4. बजरंगलाल पुत्र सीताराम जाति रैगर, निवासी ग्राम बडी बैरास तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
5. मूलचन्द पुत्र सीताराम जाति रैगर, निवासी ग्राम बडी बैरास तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
6. परसादीलाल पुत्र सीताराम जाति रैगर, निवासी ग्राम बडी बैरास तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
7. रामकरण पुत्र बिरदू जाति गुर्जर, निवासी ग्राम बडी बैरास तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
8. शम्भूदयाल पुत्र रामप्रताप जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बडी बैरास तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
9. नाथी पत्नी किशोर जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बडी बैरास तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भाण्डारेज
11. तहसीलदार भाण्डारेज

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 129, 130, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 278, 279, 280, 281 कुल किता 12 कुल रकबा 1.53 है. प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बैरावास पटवार हल्का बाणे का बरखेड़ा तहसील भाण्डारेज में स्थित है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड मे उक्त वर्णित आराजी का खातेदार काबिज काश्तकार दर्ज है। उक्त भूमि से लगती हुई अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 की कृषि भूमि स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 का एकमात्र उद्देश्य प्रार्थी से सीमा विवाद कर प्रार्थी की उक्त वर्णित खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि को दबाना है। प्रार्थी ने अपनी उक्त आराजी का सीमाज्ञान दिनांक 25.11.2019 को करवा लिया है। उक्त सीमाज्ञान के बावजूद भी दिनांक 08.09.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 प्रार्थी की उक्त आराजी में जबरन घुस आये व पूर्व में किये गये सीमा चिह्नों को हटा दिया। यदि अविलम्ब ही प्रार्थी की उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी नहीं करवायी गयी तो मौके पर शान्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:42:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज0)

होकर भारी झगडे की स्थिति उत्पन्न हो जावेगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि का मौके पर मय टीम गठित कर व पुलिस जाप्ता भिजवाया जाकर सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी कर सीमाएँ कायम फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से अधिवक्ता श्री मलखान सिंह गुर्जर ने पावर पेश किया। अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से अधिवक्ता श्री पदम सिंह गुर्जर ने पावर पेश किया। अप्रार्थी संख्या 8 ने स्वयं न्यायालय में उपस्थिति दी। अप्रार्थी संख्या 9 के विरुद्ध बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

उपस्थित अप्रार्थीगण से जवाब तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 7 व 8 द्वारा बावजूद अवसर जवाब पेश न किये जाने के कारण इनका जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 ने जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की भूमि लगती हुयी है एवं दोनों ने ही न्यायालय के समक्ष पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है। अतः दोनों प्रकरणों में पत्थरगढी का आदेश प्रदान कर दिया जावे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 10 व 11 की ओर से तहसीलदार भाण्डारेज ने जवाब पेश कर कथन किया कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थी के नाम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है। फसल कटाई के पश्चात् पुलिस जाप्ते व राजस्व टीम के द्वारा पत्थरगढी करावाया जाना उचित है।

प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 का कथन है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की भूमि लगती हुयी है एवं दोनों ने ही न्यायालय के समक्ष पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है। अतः दोनों प्रकरणों में पत्थरगढी का आदेश प्रदान कर दिया जावे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तहसीलदार भाण्डारेज का कथन है कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थी के नाम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है। फसल कटाई के पश्चात् पुलिस जाप्ते व राजस्व टीम के द्वारा पत्थरगढ़ी करावाया जाना उचित है। चूँकि प्रश्नगत आराजी की खातेदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है एवं प्रश्नगत आराजी पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार भाण्डारेज को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम बैरावास पटवार हल्का बाणे का बरखेडा तहसील भाण्डारेज स्थित आराजी खसरा नम्बर 129, 130, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 278, 279, 280, 281 कुल किता 12 कुल रकबा 1.53 है. का अनुभवी पटवारियों/भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थी के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढ़ी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो, तो [illegible] से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार [illegible] हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:42:44 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले [illegible] न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
दौसा (राज.)